पारादीप पोर्ट (पायलटों की अनुज्ञप्ति) नियमन, १९६७

जीएसआर १६७२

मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, १९६३ (१९६३ का ३८) की धारा १२६ और २८ के साथ पठित धारा २४ की उप-धारा (१) के प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों और अन्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा नि नलिखित नियमन तैयार करती है, नामत:

लघु शीर्षक एवं प्रारंभ:

१) इन नियमनों को पारादीप पोर्ट (पायलटों की अनुज्ञप्ति) नियमन, १९६७ का नाम दिया जा सकता है।

२) वे १ नवंबर, १९६७ से प्रभावी होंगे।

२. परिभाषएं:

इन नियमनों में, संदर्भित होने पर आवश्यक होगा-

ए) 'बोर्ड' 'चेयरमैन' 'डिप्टी चेयरमैन' का अर्थ वही होगा जो उन्हें मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, १९६३ में प्रदान किया गया है।

बी) 'कोस्टिंग स्टीमर' का अर्थ ऐसे स्टीमर से है जो १००० नेट टन वजन से अधिक वजन का न हो (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) जो भारतीय समुद्री तटों पर पारादीप और अन्य पोर्टों के बीच व्यापार करते हैं और लौट आते हैं या किसी समुद्री यात्रा के बाद अंतराल में लौटने पर, जो पारादीप को छोडने के समय से १४ दिनों से अधिक नहीं होता।

सी) 'डिप्टी कंजरवेटर' का अर्थ है वह प्राधिकारी, जिसके तहत पायलेटेज निर्देशन और प्रबंधन रहता है।

डी) 'हार्बर मास्टर' का अर्थ है बोर्ड द्वारा नियुक्त ऐसा प्राधिकारी, जो डिप्टी कंजरवेटर द्वारा उन्हें समय-समय पर ड्यूटी निभाने को सौंपी जाती है।

ई) 'लाइसेंसप्राप्त प्राधिकारी' का अर्थ है कानूनन किसी कोस्टिंग जहाज के बतौर मास्टर या नियुक्त किया गया मेट और वह बोर्ड द्वारा लाइसेंसप्राप्त होता है, बशर्ते वह पोर्ट में किसी जहाज को चलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत हो।

एफ) 'लिमिट्स ऑफ कंपलसरी पायलेटेज वॉटर्स' का अर्थ है इंडियन पोर्ट्स एक्ट, १९०८ (१९०८ का १५) की धारा ४ की उप-धारा-२ के अधीन पोर्ट संबंधी सीमाएं।

जी) 'पोर्ट' से आशय है पारादीप पोर्ट

एच) 'स्पेशल पायलेटेज लाइसेंस' का अर्थ है लाइसेंसशुदा प्राधिकारी को प्रदत्त लाइसेंस।

आई) 'पायलट' का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार द्वारा इंडियन पोर्ट्स एक्ट, १९०८ (१९०८ का १५) की धारा-३ के तहत जहाज चलाने की अधिकृत हो।

३ पायलटों पर हार्बर मास्टरों का नियंत्रण:

हार्बर मास्टर का जहाजों के पायलेटेज प्रभार में पायलटों पर पोर्ट में प्रवेश करते समय या बर्थ पर खड़े होते समय या पोर्ट में कोई बर्थ छोड़ते समय उनके ऊपर नियंत्रण होगा।

४ लाइसेंसप्राप्त होंगे पायलट:

१. प्रत्येक पायलेट के पास पारादीप पोर्ट पर पायलट की ड्यूटी निभाने हेतू एक लाइसेंस होगा, और वह केंद्र सरकार की मंजूरी के विषयाधीन होगा जो बोर्ड द्वारा जारी किया जा सकता है और उसके द्वारा रिकवरेबल हो सकता है।

२. यदि पायलेट बोर्ड के साथ संबंध विच्छेद कर लेता है तो वह अपना लाइसेंस भी तत्काल उसके सुपुर्द कर देगा।

५ पायलेट सर्विस में आने की शर्तें:

किसी व्यक्ति को तब तक पायलट का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक वह बोर्ड को इस बात पर संतुष्ट नहीं करा देता कि वह नि नलिखित शर्तें पूरी करता है, नामत:

ए) पारादीप पोर्ट इंप्लॉइज (रिक्रूटमेंट, सीनियोरिटी एंड प्रमोशन) रेगुलेशंस, १९६७ के नियमन १४ (२) और १४ (३) मं प्रदत्त पात्रता की शर्तें

बी) प्रोबेशन यानी पर्यवीक्षण अवधि में पायलट के रूप में नियुक्ति की तिथि पर उसकी उम्र २४ वर्ष से कम और ३५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा इसमें कोई छूट नहीं दी गई हो।

सी) वह नियमन-६ में वर्णित योग्यताएं धारण करता हो।

६ अ यर्थियों की योग्यता:

१. पायलेटेज लाइसेंस हेतू किसी अ यर्थी को -

ए) अच्छे चरित्र और नम्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसके पास बतौर मास्टर (फॉरेन गोइंग) में सक्षम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, या इसके समकक्ष सर्टिफिकेट होना चाहिए और बेहतर हागा कि उसके पास 'फर्स्ट मेट ऑन ए फॉरेन गोइंगशिप' का कम से कम छह महीने का अनुभव हो।

बी) वह चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा अनुमोदित फिजिशियन सर्जन और नेत्र विशेषज्ञ सहित मेडिकल बोर्ड के परामर्श पर पोर्ट ट्रस्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा जारी फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। महिला अ यर्थी के मामले में मेडिकल बोर्ड में एक महिला डॉक्टर को भो शामिल किया जाएगा।

सी) जब तक बोर्ड निर्णय नहीं ले लेता, उसे न्यूनतम छह महीने की अवधि तक प्रोबेशन ट्रेनिंग पर रहना होगा। उसके पूरा होने पर यदि हार्बर मास्टर सुझाव दे और डिप्टी कंजरवेटर की अनुमति के विषयाधीन उसे समुद्री यात्राओं पर जाने की योग्यताओं की पड़ताल हेतू आवेदन करना होगा।

२. पायलेटेज लाइसेंस का शुल्क ५०/- रुपए (पचास रुपए) होगा।

८ परीक्षा के विषय:

परीक्षा के विषयों में नि नलिखित शामिल होंगे:- नामत:

१) पोर्ट में आने-जाने संबंधी कायदे-कानून

२) दो स्थानों के बीच मार्ग और उनकी दूरी

३) ज्वारभाटों का उतार-चढ़ाव

४) पानी की थाह की गहराई और उसका चरित्र

५) पोर्ट के भीतर लंगरगाह, चट्टानों, उथला पानी, और अन्य खतरे, पानी में तैरते संकेतक चिन्ह, प्रकाश स्तंभ और अन्य रोशनियां।

६) जहाजों और स्टीमरों का प्रबंधन उन्हें एंकर पर लाने की कला और उन्हें बहाव-मार्ग में उनके एंकरों से दूर रखना।

७) मूर-अनमूर करते हुए समुद्री यात्रा पर आगे बढ़ना

८) सभी परिस्थितियों में जहाज को संभालना।

८ परीक्षा समितियां:

१. पायलेटेज लाइसेंस प्रदान करने की परीक्षा नि नलिखित संबंधित समिति के तौर-तरीकों से संचालित होगी जिसमें -

१) डिप्टी कंजरवेटर : चेयरमैन

२) हार्बर मास्टर : सदस्य

(उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम पायलट)

३) फॉरैन गाइंगशिप का मास्टर सदस्य

२ छह महीने की प्रोबेशन अवधि पूरी कर लेने के बाद और प्रशिक्षण के दौरान उसके प्रदर्शन को देखते हुए हार्बर मास्टर उसके हाथों एक इनवार्ड-आउटवार्ड बाउंड जहाज को संभालने का प्रेक्टिल कराएगा और डिप्टी कंजरवेटर को संबंधित रिपोर्ट भेजेगा। हार्बर मास्टर की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर डिप्टी कंजरवेटर परीक्षा समिति को बुलाएंगे और फिर अ यर्थी को एक मौखिक परीक्षा में बैठाया जाएगा, जिसमें अ यर्थी को प्रधान नियमनों के नियमन-७ के अधीन वर्णित विषयों के परीक्षा देनी होगी।

९ परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर:

यदि प्रोबेशनर अपनी नियुक्ति के ९ महीनों के भीतर संदर्भित परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाने में असफल रहता है तो वह पभार मुक्त कर दिए जाने का जवाबदेय होगा।

१० पायलट का विशेष ध्वज:

१. प्रत्येक पायलट को एक ध्वज विशेष उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे उसे अपने प्रभार के दौरान जहाज के ऊपर ऐसी जगह पर फहराना होगा जहा ंसे उसे दरस्थ संकेतों से देखा जा सके।

२) जब पायलट जहाज पर सवार हो तो एक वैसा ही ध्वज उसके साथ संपर्क हेतू सिग्नल स्टेशन पर इस्तेमाल किया जाएगा।

११ प्राधिकारी के आदेश पायलटों के लिए मान्य होंगे:

एक पायलट को बोर्ड , डिप्टी कंजरवेटर या हार्बर मास्टर के आदेशों और नियमनों को मानना होगा और उन पर अमल करना होगा।

१२ पायलट का व्यवहार:

१) जब वह जहाज पर तैनात है तब तक प्रत्येक पायलट को हर समय विनम्रता प्रदर्शित करनी होगी और उसे अपनी पूरी एकाग्रता और शालीनता से अपने जहाज और अन्य जहाजों की सुरक्षा के प्रति हरदम सजग रहना होगा।

२) जब भी आवश्यक हो तो वह जब जहाज चलामान स्थिति में हो तो उसे चलायमान ही रखगा और उसके मालिक या कमांड अधिकारी से लिखित अनुमति लिए बिना कभी-भी जहाज को भूग्रस्त नहीं होने देगा।

१३ जहाज के मास्टर आदि के प्रति पायलट का रवैया अपने प्रभार के समय पायलट किसी भी जहाज के मास्टर, मालिक और अन्य अधिकारियों के प्रति पूरा मान-स मान प्रदर्शित करेगा।

१४ अपनी सेवाओं के बदले पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा :

१) जहाज पर सवार पायलट यात्रा पर निकलने/पहुंचने पर मास्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जो उस रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर सहित पूरा विवरण दर्ज करेगा।

२) जब पायलट की ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो वह ट्रांसपोर्टिंग/एकरिंग सर्टिफिकेशन भरकर उन्हें मास्टर को हस्ताक्षर हेतू सौंपेगा।

१५ समय पर पायलट को जहाज पर सवार होना होगा:

किसी जहाज के पोर्ट से निकलते समय जब पायलट उसका प्रभार ग्रहण करेगा, या जहाज अपनी बर्थ को छोड़ने वाला होगा तो वह निर्धारित समय पर उसमें सवार होगा और कमांड अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।

१६ ड्यूटी के समय पायलट अपने साथ लाइसेंस आदि लेकर जाएगा:

ड्यूटी पर तैनात पायलेट हमेशा अपने साथ अपना लाइसेंस, पोर्ट हेतू आधिकारिक टाइड-टेबल, पोर्ट रूल्स एवं पायलटेज नियमनों की प्रति, जो उस समय लागू हों, अपने पास रखगा।

१७ रुकने/ठहरने और खानेपीने का प्रावधान:

यदि जरूरी हुआ तो पायलट को किफायती रिहायशी सुविधा के साथ-साथ सुबह ७.०० बजे से ९.०० बजे के बीच चाय-नाश्ता, दोपहर १२.०० से लेकर २.०० बजे के बीच लंच और रात में ६.०० बजे से लेकर ९.०० बजे (भारतीय समयानुसार) के बीच डिनर उपलब्ध कराया जाएगा।

१८ पायलट को देखना होगा कि एंकरों को खाला जाने वाला है:

किसी जहाज के यात्रा पर निकलने से पूर्व प्रभार लेने वाला पायलट उस जहाज के मास्टर से पूछेगा कि स्टियरिंग गियर सही ढंग से जुड़े हैं और कामकाज के लिहाज से सही हैं और वह फिर आदेश देगा कि एंकरों को खोल दिया जाए।

१९ गवाही के दौरान पायलट :

कोई भी पायलट डिप्टी कंजरवेटर की अनुमति लिए बिना किसी अदालतो सुनवाई या जांच में तब तक अपनी गवाही नहीं देगा जब तक अंडर सब-पोयना और अंडर सब-पोयना पायलट अपनी गवाही न दे दें, जो तत्काल डिप्टी कंजरवेटर को लिखित में तथ्यों की रिपोर्ट सौंपेगा।

२० यात्रा के संदर्भ में बदलावों की जानकारी पायलटों को देनी होगी:

जब भी किसी पायलट को लगे कि चैनलों की गहराई में कोई बदलाव किया गया है या उसे पानी में तैरते संकेतों, प्रकाश स्तंभों या रोशनियों में कोई बदलाव नजर आए कि उनका स्थान बदला गया है, वे टूट गए हैं या फिर उसे लगे कि ऐसी परिस्थितियों में उसकी समुद्री यात्रा में सुरक्षा को जोखिम हो सकता है तो वह तत्काल लिि ात में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर डिप्टी कंजरवेटर को प्रेषित करेगा।

२१ दुर्घटना की सूचना देंगे पायलट:

किसी दुर्घटना को स्थिति में जिस जहाज का वह प्रभारी है तो वह जल्द से जल्द उसकी लिखित रिपोर्ट संबंधित फॉर्म में भरकर डिप्टी कंजरवेटर को देंगे।

२२ जहाज पर पायलटों की हाजरी को नियमित करेंगे हार्बर मास्टर:

समुद्र ड्यूटी पर तैनात पायलट जहाजों के हार्बर मास्टर द्वारा उनकी सेवाओं और प्रत्येक जहाज को आवंटित पायलटों की रोटेशन की सूची का ब्यौरा तैयार करेंगे, जो डिप्टी कंजरवेटर या हार्बर मास्टर के कार्यालय में रखो जाएगी।

२३ यात्रा पर निकल रहे जहाज के संदर्भ में पायलट के कर्तव्यों की शुरुआत:

समुद्री यात्रा पर निकल रहे जहाज के संदर्भ में पायलट की ड्यूटी जहाजी घाट से निकलते ही शुरू हो जाएगी।

२४ ड्यूटी कब पूरी होगी:

किसी समुद्री यात्रा पर निकलने वाले जहाज के पायलट की ड्यूटी तब पूरी हो जाती है जब वह जइाज को आवश्यक पायलटेज वॉटर्स की सीमा में प्रवेश करा देता है।

२५ यात्रा पर जहाज के संदर्भ में पायलट की ड्यूटी:

पोर्ट की सीमा में दाखिल होते जहाज के पायलट की ड्यूटी उसके कंपलसरी पायलटेज सीमाओं में दाखिल होते ही शुरू हो जाती है।

२६ जहाज पर सवार होते समय पायलट द्वारा की जाने वाली क्रिया:

१) किसी जहाज पर सवार होते समय पायलट इस बात पर गौर करेगा कि लोग जहाज में समुद्री यात्रा शुरू करते समय या उसक दौरान पोर्ट में लागू स्पर्शवर्जन नियमों में वर्णित किस्म के किसी संक्रमित रोग से ग्रस्त तो नहीं हो गए। यदि ऐसा हो तो उस स्थिति में पायलट उस जहाज को एंकर करेगा, स्पर्शवर्जन संकेत फहराएगा और इस दिशा में उक्त नियमों में प्रदत्त दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएगा।

२) उसी तरह पायलट जहाज की मौजूदा स्थिति पर भी गौर करेगा और देखगा कि दोनों एंकर खले हुए हों, नेशनल डिजाइन फहरा रहा है, जहाज के नाम और अन्य संकेतों के ध्वज फहरा रहे हैं, जैसा कि पोर्ट के नियमों के अधीन समय-समय पर आवश्ययक होते हैं, सभी संकेतों और ध्वजों को उस तरीके से फहराया जा रहा हो कि पोर्ट सिग्नल स्टेशन से वे साफ-साफ नजर आते हों।

२७ पोर्ट के अंदर आ रहे जहाज के संबंध में पायलट के कर्तव्यों की पूर्ति:

किसी भी पोर्ट की दिशा में आते जहाज के संबंध में पायलट के कर्तव्य तब पूर्ण हो जाते हैं जब जहाज को सुरक्षित ढंग से गोदी में लगा दिया गया हो या उसे उसके बर्थ, एंकरेज आदि से जोड़ दिया गया हो, जैसा भी मामला हो।

२८ जहाजों का चलना-फिरना:

१) जब जहाज गति में हो तो पायलट उस जहाज को तब तक पोर्ट के भीतर एक स्थिति से दूसरी में न तो मोड़ेगा और न ही इधर-उधर घुमाएगा, जब तक उसका मास्टर उस पर सवार है।

२) जब जहाज का मास्टर उसकी गति स्थिर हो जाने से पूर्व उसे छोड़ देता है तो पायलट जहाज को ऐसी सुरक्षित स्थिति में एंकर किए जाने का निर्देश देगा कि मास्टर द्वारा वहां तक आसानी से पहुंचा जा सके और जहाज को चलायमान गति के साथ तब तक आगे बढ़ने के निद्रेश नहीं देगा जब तक उसका मास्टर लौटकर नहीं आ जाता।

३) जहाज के चलने-फिरने के पूरे समय के दौरान उस पर सवार अधिकारियों और क्रू सदस्यों की सं या आवश्यकतानुसार कोई भी काम करने हेतू पर्याप्त सं या से कम नहीं होगी। और यदि पायलट को जहाज पर सवार होते समय लगे कि ड्यूटी पर तैनात लोगों की सं या कम है तो वह पोर्ट के नियमों की ओर मास्टर का ध्यान दिलाएगा और चलते रहने के लिए तब तक इंतजार करेगा जब तक पहले उसका मास्टर स्पष्ट रूप से लिखित में जहाज को आगे बढ़ाते रहने की घोषणा न कर दे।

स्पष्टीकरण:

इस नियमन में 'मास्टर' शब्द की अभिव्यक्ति में पहले या अन्य अधिकारी को बतौर मास्टर उस स्थिति में काम करने को अधिकृत होंगे जिसमें मास्टर अपने कार्यालय के कर्तव्य निभा पाने में असमर्थ हो।

२९ किसी पायलट का लाइसेंस गुम हो जाए तो वह तत्काल डिप्टी कंजरवेटर को इसकी सूचना देगा जिसमें वह लाइसेंस गुम होने की परिस्थितियों का उल्लेख करेगा और जब तक डिप्टी कंजरवेटर इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि लाइसेंस पायलट की लापरवाही से गुम नहीं हुआ, तब तक वह पायलट को अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं करेगा जिसमें बोर्ड द्वारा उसका डुप्लीकेट लाइसेंस जारो करने की प्रक्रिया लंबित रहेगी।

३० चार्ट और प्लान संबंधी पायलट की परीक्षा:

डिप्टी कंजरवेटर द्वारा लिखित में आवश्यतानुसार जताए जाने पर प्रत्येक पायलट उनके अथवा हार्बर मास्टर के कार्यालय में उपस्थित होकर उन्हें पोर्ट के नवीनतम प्लान और चार्ट के साथ स्वयं के परिचित होने से अवगत कराएगा। और पोर्ट की किसी अन्य जानकारी पर भी गौर करेगा।

३१ पायलट की वर्दी:

ड्यूटी के समय पायलट बोर्ड द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करेगा।

कोस्टिंग स्टीमरों के मास्टरों और मेट्स को विशेष पायलटेज लाइसेंस

३२ समुद्री यात्राओं के लिए योग्यता:

१) विशेष पायलटेज लाइसेंस का आवेदन करने वाले जहाज के किसी मास्टर या मेट को तब तक जांचा नहीं जाएगा जब तक कि उसके द्वारा आवेदन की तिथि से तत्काल एक वर्ष के भीतर पोर्ट में कम से कम ९ समुद्री यात्राएं न की हों जिनमें से ७ समुद्री यात्राएं तो उस तिथि से तत्काल छह महीने के भीतर की गई होनी चाहिए

२) विशेष पायलटेज लाइसेंस उसके जारी होने की तिथि से केवल एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा और उसे पुनर्परीक्षा के बिना तब तक रिन्यू नहीं किया जाएगा जब तक लाइसेंस प्राप्त अधिकारी ने रिन्यूअल के आवेदन से पूर्व एक वर्ष के दौरान पोर्ट में पांच समुद्री यात्राएं पूरी न कर ली हों।

बशर्ते यदि लाइसेंस प्राप्त अधिकारी की ओर से मौसमी व्यवसाय में नियुक्त होने की अवधि के दौरान समुद्री यात्राओं की निर्धारित सं या पूरी नहीं कर पाया हो तो परीक्षा समिति अपने विवेक से दोबारा परीक्षा लिए उसका विशेष पायलटेज लाइसेंस रिन्यू किए जाने की अनुशंसा कर सकती है।

३३ परीक्षा के विषय:

१) 'होम ट्रेड ऑफ फॉरैन गोइंग मास्टर्स सर्टिफिकेट' धारक किसी मास्टर या मेट को स्पेशल पायलटेज लाइसेंस तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक वह पोर्ट ट्रस्ट पायलटों हेतू गठित (समिति द्वारा निर्धारित संशोधन के साथ) इन नियमनों में वर्णित परीक्षा (परीक्षा समिति के समक्ष) उत्तीर्ण न कर ली हो।

२) स्पेशल पायलटेज लाइसेंस केवल वहां नामित कंपनियों के जहाजों के ही संदर्भ में लागू होगा लेकिन परीक्षा समिति की अनुशंसाओं पर वह कंपनी बदल लिए जाने या नौकरी बदलनेकी स्थिति में लाइसेंसधारक की पुनर्परीक्षा लिए बिना हस्तांतरित किया जा सकता है।

३४ परीक्षाओं आदि के लिीए परीक्षा शुल्कों के बीच अंतराल:

१) स्पेशल पायलटेज लाइसेंस की परीक्षा हेतू एक अ यर्थी को केवल तीन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति होगी जो आवेदन की तिथि से छह महीने के दौरान एक महीने के अंतराल से कम नहीं होगी।

२) विशेष पायलटेज लाईसैंस की परीक्षा, उसे जारी करने या उसे रिन्यू कराने हेतु देय शुल्क नि न अनुसार होगा। :-

ए) परीक्षा का शुल्क ::३० रु.

बी) विशेष पायलटेज लाईसैंस शुल्क ::०५ रु.

सी) विशेष पायलटेज लाईसैंस को रिन्यू कराने
या डुप्लीकेट जारी कराने का शुल्क ::०५ रु.

३५. व्यवहार का प्रमाणपत्र :-

विशेष पायलटेज लाईसैंस के लिये आवेदन करने वाला कोई मास्टर या कोई मेट उन जहाजों के मालिक या मालिकों से प्राप्त ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जिन के अधीन वह अपने आवेदन की तिथि से तत्काल एक वर्ष पहले के दौरान कार्यरत रहा। वह बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीके से फिटनेस का मेडीकल सर्टीफिकेट भी प्रस्तुत करेगा।

३६. विशेष पायलटेज लाईसैंस के लिये आयु सीमा :-

५० वर्ष या इस से अधिक उम्र वाले किसी मास्टर या मेट की ओर से विशेष पायलटेज लाईसैंस के लिये किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और ६० वर्ष की उम्र तक पहुंच चुके किसी भी लाईसैंस प्राप्त अधिकारी की लाईसैंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड विशेष मामलों में आयु सीमा को प्रतिबंधित या विस्तारित कर सकता है।

३७- लाईसैंस प्राप्त अधिकारी लाईसैंस में न तो कुछ जोड़ेंगे न तो कुछ बदलाव करेंगे या न ही किसी को आगे उधार देंगे।

१- कोई भी लाईसैंस प्राप्त अधिकारी उस में न तो कुछ जोड़ेगा, न ही किसी तरह का बदलाव करेगा और ना ही उस पर दर्ज किसी प्रविष्टी को

बदलेगा या ना ही कभी ऐसी लाईसैं किसी को आगे उधार देगा।

२- लाईसैंस प्राप्त अधिकारी जब बेरोज़गार हो जाए तो वह अपना लाईसैं सुरक्षित ढ़ंग से डिप्टी कंजरवेटर के पास जमा करा दे । और सेवानिवृत होते ही तत्काल अपना लाईसैंस बोर्ड को सौंप दे।

३८. लाईसैंस प्राप्त अधिकारी की डिप्टी कंजरवेटर के कार्यालय में

हाजरी :-

१) लाईसैंस प्राप्त अधिकारी प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार डिप्टी कंजरवेटर के कार्यालय में एक बार हाजरी लगानी होगी ताकि वह बन्दरगाह के भीतर और चैनलों के इर्द-गिर्द किये गये बदलावों और नियमनों के अलावा बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा निर्देशों

से खद को अवगत करा सके।

२) उपनियमन (१) में संदर्भित उद्देश्य हेतु नवीनतम नियमनों और दिशा-निर्देशों के चार्ट को पड़ताल के लिये खला रखा जाएगा और लाईसैंस प्राप्त अधिकारी इस उद्देश्य के लिये उपलब्ध कराई गई हाजिरी पुस्तिका में अपने नाम के हस्ताक्षर करेगा।

३९. पायलटेज सेवाओं की तिमाही रिटर्न :-

एक लाईसैंस प्राप्त अधिकारी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में पहले दस दिनों के भीतर पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान उसके

द्वारा संचालित जहाजों के नाम, मसविदे, और टनेज को प्रदर्शित करता ब्यौरा तथा जिन तिथियों पर उसने जहाजों का संचालन किया, समत पूरा
विवरण डिप्टी कंजरवेटर के पास लौटायेगा।

४०. शारीरिक क्षमता हेतु जांच पड़ताल –

१)– एक लाईसैंस प्राप्त अधिकारी डिप्टी कंजरवेटर द्वारा समय समय पर आवशयक ऐसी जांच पड़ताल का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा जिसमें उस के
बतौर पायलट काम करने की शारीरिक क्षमता और आंखों की दृष्टि का विवरण बोर्ड के निर्धारित नियमों के अनुरूप पाया जाता है।
२)– जिस समय लाईसैंस प्राप्त अधिकारी बतौर पायलट काम करने में असमर्थ हो जाये या आंखों की दृष्टि की परीक्षा उतीर्ण न कर पाये या ऐसी आदतों का शिकार हो जाए जो उसकी क्षमता या बतौर पायलट उसकी विश्वसनीयता को प्रभावित करती हों तो बोर्ड के पास यह विशेषाधिकार
होगा कि वह उसका लाईसैंस रद्द कर दे या निलंबित कर दे।

४१. लाईसैंस प्राप्त अधिकारी डिप्टी कंजरवेटर के नियंत्रण के विषयाधीन होंगे :–

प्रत्येक लाईसैंस प्राप्त अधिकारी बतौर पायलट अपनी ड्यूटी संबंधी सभी मामलों में डिप्टी कंजरवेटर के प्राधिकार और निर्देशन के अधीन होंगे और डिप्टी कंजरवेटर या हार्बर मास्टर द्वारा लिखित या मौखिक रूप से प्रदत्त प्रत्येक आदेश और दिशा–निर्देश पर तुरन्त ध्यान देंगे और उसे तत्काल लागू करेंगे।

४२. लाईसैंस प्राप्त अधिकारी आबंटित बर्थ में ही आयेगा या एंकर करेगा :–
एक लाईसैंस प्राप्त अधिकारी कोस्टिंग स्टीमरों को खुले समुद्र और बन्दरगाह के किसी अन्य हिस्से या भाग में अन्दर बाहर चला सकता है, लेकिन उसे वह किसी भी बर्थ में न तो मूर करेगा और न ही ऐंकर करेगा। बशर्ते वह बर्थ डिप्टी कंजरवेटर द्वारा उसे आबंटित की गई हो।

४३. बरती जाने वाली सावधानियां :–
एक लाईसैंस प्राप्त अधिकारी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सभी आवश्यक यथोचित देखभाल के साथ करेगा और अपने जहाज को न तो भू ग्रस्त होने देगा और ना ही किसी अन्य जहाज के साथ टकराने देगा, या न ही अपने जहाज को अथवा किसी अन्य स पत्ति को ही क्षतिग्रस्त होने देगा।

४४. विशेष संकेत :–

प्रत्येक लाईसैंस प्राप्त अधिकारी अपने जहाज पर डिप्टी कंजरवेटर द्वारा निर्दिष्ट ऐसे विशेष संकेत चिन्ह प्रदर्शित करेगा जिन्हें अन्य संकेत स्थलों से दूर से देखा जा सके।

४५. शुल्क आदि के संदर्भ में लाईसैंस प्राप्त अधिकारी का अनाधिकार --

कोई भी लाईसैंस प्राप्त अधिकारी बोर्ड से कोई भी पारिश्रमिक प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और ना ही बोर्ड के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा पायलटेज ख़ल्क और परिवहन शुल्क वसूले जाएंगे या किसी लाईसैंस प्राप्त अधिकारी द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाएगा और कोई भी लाईसैंस प्राप्त अधिकारी बोर्ड के पेंशन और भविष्य निधि कोष नियमों के किसी लाभ का ही पात्र होगा। कोई भी विशेष पायलट लाईसैंस जारी किया जाना, किसी भी लाईसैंस प्राप्त पायलट को उस लाईसैंस में प्रदत्त किसी अथवा सभी कर्त्तव्यों के निर्वहन से किसी भी रूप में बाधित नहीं करेगा।

४६. मास्टर और मेटों के नियमनों का क्रियानवन :-

पायलटेज नियमन १२,१६,२०,२१ और २९ लाईसैंस प्राप्त अधिकारियों पर लागू होंगे और उन के द्वारा इनकी अनुपालना की जाएगी।

४७- स्पष्टीकरण :-

यदि इन विनियमनों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण का प्रश्न उत्पन्न होता हो तो उसे निर्णय के लिये बोर्ड को संदर्भित कर दिया जाएगा :-

---

सं. एफ.१६पीई(८५)य६७

नोट:-

१) पारादीप पोर्ट (पायलटों के अधिकार) विनियमन. १९६७ को दिनांक ०१-११-१९६७ को भारतीय गज़ट में जीएसआर सं. १६७२ द्वारा प्रकाशित किया
गया था।

२) पहला संशोधन नामत:, पारादीप पोर्ट (पायलटों के अधिकार) (संशोधन) विनियमन. १९९१ को दिनांक २३-०१-१९९१ को भारतीय गज़ट में जीएसआर सं. १६९(ई) द्वारा प्रकाशित किया गया था।

३) दूसरा संशोधन नामत:, पारादीप पोर्ट (पायलटों के अधिकार) (दूसरा संशोधन) विनियमन. १९९३ को दिनांक १३-०९-१९९३ को भारतीय गज़ट में
जीएसआर सं. ६०५(ई) द्वारा प्रकाशित किया गया था।